न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 70/23 दायर दिनांकः 07.06.2023
जीसीएमएस नं. 2023/172

गुलकन्दी पत्नि श्री करनसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.
——वादीनी सायला

बनाम

1. दीपक पुत्र श्री यदुवीरसिंह 2. विद्या वेवा रामचरनसिंह 3. जयसिंह 4. अशोक 5. राहुल पुत्रान रामचरनसिंह 6. पिंकी पत्नि अभयसिंह पुत्री रामचरनसिंह 7. सचिन पुत्र समयसिंह माता शशीवाला पुत्री रामचरनसिंह 8. प्रिन्स पुत्र समयसिंह माता शशीवाला पुत्री रामचरनसिंह समस्त जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 9. बवली पत्नि तेजसिंह पुत्री रामचरनसिंह जाति जाट नि. पोस्ट बामोली तह. रामगढ़ जिला अलवर 10. सोनिया पत्नि सीताराम पुत्री रामचरनसिंह जाति जाट नि. भजीट एम.आई. एरिया अलवर जिला अलवर राज.
——असल प्रतिवादीगण गैरसायलान

11. राज. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.
—— तरतीवी प्रतिवादी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता— 1.श्री रामेश्वर दयाल शर्मा ——प्रार्थीया
2.श्री खेमसिंह चौधरी ——अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.10.2024

प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 181 रकबा 0.15, 192 रकबा 0.18, 2997 रकबा 0.36, 3075 रकबा 0.37, 3092 रकबा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है।

उपरोक्त आराजीयात में वादिनी सायला 1/2 हिस्से की व प्रतिवादी गैरसायल संख्या एक, 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी गैरसायलान संख्या 02 लगायत 10 वाहिस्सा बराबर के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काविज है।

खातेदार आराजीयात का हिस्से अनुसार वादिनी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान मनवट के तौर पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी का मौके पर सरकारी विभाजन नहीं हो पाया है। मनवट तौर पर वादिनी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान उपरोक्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज

अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि गैरसायलान असल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण 02, 03, 04, 05 की ओर से वकालतनामा श्री खैमसिंह चौधरी द्वारा पेश किया गया तथा उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 लगायत 10 की बाद तलवी कोई उपस्थित नहीं होने उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई।

हमने बहस वकील वादी की सुनी गई। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया चूँकि उक्त आराजी सहखातेदारी की भूमि हैं। अतः उभयपक्ष की उक्त आराजीयात पर दौराने दावा पेचीदीयां पैदा नहीं बढ़े इससे बचने के लिये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष के विरूद्ध विवादित आराजी पर ताफैसला दावा दिनांक 07.06.2023 को जारी शुदा अस्थायी निषेधाज्ञा पुष्ट की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)
भुसावर (भरतपुर) राज.